बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

आदेश

पटना, दिनांक

संख्या–2 / आ0–70–06 / 2014 गृ0आ0 / श्री आशीष आनंद, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम के विरूद्ध पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–1115 दिनांक 03.04.2014 द्वारा प्राप्त प्रपत्र–'क' के आलोक में श्री आनंद के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन सं0–4764 दिनांक 10.06.2014 निर्गत किया गया था। श्री आनंद के विरूद्ध आरोप है कि उन्हें पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के ज्ञापांक–4246 / XP दिनांक 29.11.2013 के द्वारा निदेश दिया गया था कि अपर पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में जाकर पुलिस महानिदेशक की ओर से निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान पर्यवेक्षण किये गए कांडों में से कुछ कांडों को Random रूप से चिन्हित कर यह देखने का निदेश था कि पर्यवेक्षण घटना स्थल पर जाकर किया गया या नहीं ? इस हेतु श्री आनंद के भ्रमण दैनन्दिनी वाहन का लॉग बुक एवं कांड से संबंधित गवाहों से सम्पुष्टि कर प्रतिवेदन दिया जाना था। उक्त आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था बिहार, पटना के अपने ज्ञापांक–115 / वि0व्या0 दिनांक 13.12.2013 से प्रतिवेदन समर्पित किया। समर्पित प्रतिवेदन की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि श्री आनंद द्वारा कांडों का पर्यवेक्षण सही तरीके से नहीं किया गया।

2. उक्त आरोप के लिए उनके विरूद्ध विभागीय पत्र सं0–1338 दिनांक 25.02.2015 द्वारा पुलिस मुख्यालय से आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान की प्रति मंतव्य हेतु संलग्न कर भेजा गया।

3. पुलिस मुख्यालय ने अपने पत्र सं0–160 दिनांक 07.01.2016 द्वारा अपने मंतव्य से विभाग को अवगत कराया।

4. श्री आनंद के विरूद्ध लगाये गए आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के तथा पुलिस मुख्यालय के मंतव्य के समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी देने का निर्णय लिया गया।

5. सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री आशीष आनंद तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम के भविष्य के लिए चेतावनी संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
(देव नारायण मंडल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2 / आ0–70–06 / 2014 गृ0आ0 / पटना, दिनांक
प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / श्री आशीष आनंद, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, सासाराम सम्प्रति विशेष कार्यालय बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2 / आ0–70–06 / 2014 गृ0आ0 / पटना, दिनांक
प्रतिलिपिः–पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना से अनुरोध है कि श्री आनंद को इसकी प्रति प्राप्त कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2 / आ0–70–06 / 2014 गृ0आ0 3321 / पटना, दिनांक 27.04.16
प्रतिलिपिः–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।